**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः **25/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

देवनारायण मीणा पताः जी–4, जय श्रीराम अर्पाटमेंट, सेक्टर–14, हिरण मगरी, उदयपुर

**..............अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

**..................प्रत्यर्थी**

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

# निर्णय

**दिनांकः** 15/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ऑनलाईन अपील क्रमांक 329083103218249 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.08.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्रांक 4327582921 दिनांक 13.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/25/26/88–89 दिनांक 13.01.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 14.08.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आवेदन पत्र अनुसार बिन्दु संख्या 1 में वर्ष जनवरी 2020 से अगस्त 2024 तक ग्राम बड़ला की हाल जमाबंदी संख्या 337 नया खाता संख्या 415 की भूमि का विक्रय पत्र द्वारा किये गये सभी बेचान पत्रों व बेचना नामांतरकरण की पूर्ण विवरण, बिन्दु संख्या 2 में जनवरी 1980 से अगस्त 2024 तक ग्राम झोसावाडा की हाल जमाबंदी की खसरा संख्या 396 रकबा 0.1100 व 397 रकबा 0.1600 खाता संख्या पुराना 42 व नया खाता संख्या 53 की भूमि का विक्रय पत्र द्वारा किये गये सभी बेचान पत्रों व बेचान नामांतरकरण की पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित प्रति, बिन्दु संख्या 3 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अधीन ग्राम पंचायत बड़ला में सरपंच, उपसरपंच के पद कर कार्यरत व्यक्तियों को उनके कार्यकाल की अवधि में भूमि आंवटन खातेदारी हक प्रदान करने से संबंधित वैधानिक नियमों व प्रावधानों का पूर्ण सहित प्रमाणित प्रति तथा बिन्दु संख्या 4 में वर्ष 1980 से 2023 तक पंचायत समिति खेरवाड़ा में सरपंच व उपसरपंच के पद पर कार्यरत

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22238809
M e-Sign

व्यक्तियों को उनके कार्यकाल की अवधि में जिनको भी भूमि आवंटित कर खातेदारी हक प्रदान किया गया है उन सभी की सूची मय पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है।

यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा इस कार्यालय के पत्रों के क्रम में पृथक से कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 1003 दिनांक 05.12.2025 के माध्यम से बिन्दुवार उत्तर प्रेषित किया जा चुका है जिसकी प्रति अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेज का निष्पादन/पंजीयन तिथि तथा क्रेता व विक्रेता की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 3 में आंशिक सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई है, बिन्दु संख्या 3 की शेष सूचना तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा सरपंच उपसरपंच के कार्यकाल की अवधि एवं आवंटित भूमि का स्पष्ट उल्लेख नहीं करने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का दायित्व केवल वही सूचना उपलब्ध कराना है जो अभिलेखों में विद्यमान हो तथा जिसे युक्तियुक्त रूप से चिन्हित किया जा सके। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक, अनिश्चित अथवा दीर्घ अवधि से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत संकलन करे, विशेषकर तब जबकि अभिलेख अत्यंत पुराने हों एवं सूचना किसी संकलित रूप में उपलब्ध न हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार उत्तर प्रदान कर उपलब्ध अभिलेखीय स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त उत्तर में किसी विधिक त्रुटि का परिलक्षण नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रथम अपील में निर्धारित समय में अपीलोत्तर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22238809
M e-Sign